# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 :- 25/2018

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. भीमसिंह पुत्र गंगाराम जी<br>2. कपूरसिंह पुत्र गंगाराम जी<br>3. माधुसिंह पुत्र गंगाराम जी<br>4. जैरूपसिंह पुत्र गंगाराम जी<br>5. शैतानसिंह पुत्र गंगाराम जी जाति राजपुरोहित निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर | | 1. वचना पुत्र देसीया<br>2. कान्तिया पुत्र देसीया<br>3. रमीया पुत्र देसीया<br>4. फालूदेवी बेवा देसीया जाति मेघवाल निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर<br>5. मोल देवी पत्नि सुखदेव<br>6. चन्द्रादेवी पत्नि पुखराज<br>7. प्रहलाद सिंह पुत्र चमनाजी<br>8. विजयसिंह पुत्र चैलसिंह<br>9. राणसिंह पुत्र चैलसिंह<br>10.लीलादेवी पत्नि चैलसिंह जाति पुरोहित निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' की उपधारा (1)**
**राजस्थान अधिकृति अधिनियम-1955**

उपस्थिति :-

1. श्री नैनसिंह राजपुरोहित (वादी)
2. श्री महिपालसिंह (प्रतिवादी 1,2,3,4)
3. श्री तेजसिंह बालावत वकील (प्रतिवादी 5,6,8,9,10)

## निर्णय

दिनांक :- 8/7/2019

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 'ए' का पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सांथू के खसरा नं0 2263 रकबा 2.55 हे0 किस्म चाही सोयम की खातेदारी भूमि स्थित है। जिसमें से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ 'अ' में वर्णित मार्क ABCD व CDEF रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने हेतु नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है। ऐसी स्थिति में नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में वर्णित रास्ते को नये रास्ते के रूप में घोषित किया जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार जालोर से मौका जांच रिपोर्ट चाही जिस पर तहसीलदार जालोर द्वारा पत्रांक/राज/2002 दिनांक 07.06.2019 को पेश करने पर श्रीमान को भिजवाई गई है। पदपश्चात अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। जो शामिल मिसल है। तहसीलदार जालोर की जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा सांथू के खसरा नं0 2263 में जाने हेतु प्रार्थीगण आवागमन हेतु वर्तमान में मौके पर चालू रास्ते (जो निजी खातेदारी दर्ज है) को सिवायचक गे0मु0 रास्ता दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र दायर किया है। इस बाबत रेकर्ड एवं मौके स्थिति की जांच की गई। जांच अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नं0 2263 में जाने हेतु निजी खातेदारी में रास्ता चालू है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता प्रार्थी की आराजी ख0नं0 2263 के समीप अवस्थित नही है।

प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 2243/3614 रकबा 0.04 हे0 किस्म बारानी दोयम ख0नं0 2243/3615 रकबा 0.05 हे0 किस्म बारानी दोयम जो मौके पर रास्ते के रूप में

Decision A-6 2019

08/7/19 उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रयुक्त हो रहे है। उक्त प्रस्तावित रास्ता मार्क ABCD व CDEF रास्ता कायम किया जाना उचित व न्यायोचित बताया है इसके अलावा कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अतः उक्तानुसार ख0नं0 2263 में आवागमन हेतु ख0नं0 2243/3614 रकबा 0.04 हे0 व ख0नं0 2343/3615 रकबा 0.05 हे0 किस्म बारानी दोयम भूमि माफिक संलग्न नक्शा ट्रेस परिशिष्ठ 'अ' में दर्शित मार्क ABCD व CDEF अनुसार रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिए जाते है। तद्नुसार गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

राजस्थान स्टाफ नियम 2004 के नियम (2) के तहत वर्तमान डीएलसी अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी दर 436140 रू0 प्रति0 हे0 अनुसार 43.614 रू0 प्रतिकर (1 वर्गमीटर) राशि बनती है। प्रस्तावित इस रास्ते की भूमि में कोई वृक्ष, फसल या अन्य संरचना नही होने से कोई हानि नही होगी। जांच रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की है। प्रस्तावित रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिये नही होकर उस रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसी रास्ते से प्रार्थी का आना जाना होता है।

अतः प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण को आराजी खसरा नं0 2263 में आवागमन हेतु खसरा नं0 2243/3614 रकबा 0.04 हे0 एवं आराजी खसरा नं0 2243/3615 रकबा 0.05 हे0 भूमि अर्थात आराजी 2243/3614 में से 8 मीटर चौडा व 40 मीटर लम्बा अर्थात 320 व0मी0 यानी 0.0320 हे0 एवं अराजी खसरा नं0 2243/3615 में से 8 मीटर चौडा व 50 मीटर लम्बा अर्थात 400 व0मी0 यानी 0.400 हे0 रास्ता संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित ABCD व CDEF रास्ता घोषित किया जाता है। आराजी ख0नं0 2243/3614 में घोषित किये गये रास्ते 0.0320 हे0 की डीएलसी दर अनुसार 13956 रू0 जिसकी दुगुनी राशि 27913 रू0 तथा आराजी ख0नं0 2243/3615 में घोषित किये रास्ते 0.400 की डीएलसी दर 17446 रू0 जिसकी दुगुनी राशि 34891 रू0 प्रतिकर राशि निर्धारित की जाती है। उक्त राशि प्रार्थीगण आराजी ख0नं0 2243/3614 व 2243/3615 के खातेदारान को जरिये बैंकर चैक/डी0डी0 तहसीलदार जालोर के माध्यम से अदा करेंगे। तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता राजस्थान सरकार के खाते में बतौर रास्ता दर्ज व तरमीम किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जालोर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास 08/7/19 सुनाया गया।

08/7/19

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जालोर

उपखण्ड अधिकारी
जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.11.30 16:52:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: